

प्रेषक,

डा. मेहरबान सिंह बिष्ट,  
अपर सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण  
उद्यान भवन चौबटिया-रानीखेत।

उद्यान एवं रेशम अनुभाग:-2

देहरादून: दिनांक: 12 अक्टूबर, 2018

विषय:-सगन्ध पौधा केन्द्र सेलाकुई हेतु "वेतन भत्ते के लिए सहायक अनुदान" मद में धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया निदेशक, सगन्ध पौधा केन्द्र सेलाकुई, देहरादून के पत्र संख्या-584/कैप/2018-19, दिनांक: 26.07.2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। तत्कम में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-519/3(150)-2017 XXVIII(1)/2018, दिनांक: 02 अप्रैल 2018 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निदेशक, सगन्ध पौधा केन्द्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-29 के तहत "सगन्ध पौधा केन्द्र को अनुदान एवं सगन्ध पौधों के कलस्टर विकास योजना" के मानक मद 43-वेतन भत्ते के लिए सहायक अनुदान में प्राविधानित ₹ 3.0 करोड़ की धनराशि के सापेक्ष ₹ 1.90 करोड़ (रुपये एक करोड़ नब्बे लाख मात्र) की धनराशि वेब आधारित प्रणाली के माध्यम से आपके निर्वतन में रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- धनराशि का व्यय केवल उन्ही मदों में किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है एवं धनराशि का आहरण एवं व्यय वास्तविक आवश्यकतानुसार किया जायेगा। साथ ही किसी भी प्रकार के मद परिवर्तन का अधिकार विभाग के पास नहीं रहेगा।

3- उक्त व्यय करते समय वित्त अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-519/3(150)-2017 XXVII(1)/2018, दिनांक: 02 अप्रैल 2018 में दिये गये दिशा-निर्देशों तथा शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों/निर्देशों एवं बजट मैनुअल के सुसंगत नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

4- किसी भी शासकीय व्यय हेतु "प्रोक्योरमेन्ट रूल्स 2017" वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 (लेखा नियम) आय व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा, तथा कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का कय सूचना प्रौद्योगिकी (I.T) विभाग के शासनादेशों/दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

5- व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासकीय तथा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो तो उसमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

6- बजट प्राविधान से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में अधिकृत धनराशि से अधिक धनराशि व्यय की जायेगी एवं न ही अधिक व्यय भार सृजित किया जायेगा।

7- स्वीकृत की जा रही धनराशि निदेशक, सगन्ध पौधा केन्द्र सेलाकुई, देहरादून को उनकी माँग के आधार पर यथा प्रक्रिया अविलम्ब उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।



कमश:-2

8- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-29 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2401-फसल कृषि कर्म, 119-बागवानी एवं सब्जियों की फसलें, 26-सगन्ध पौधा केन्द्र को अनुदान एवं सगन्ध पौधों के कलस्टर विकास योजना के मानक मद 43-वेतन भत्ते के लिए सहायक अनुदान मद के नामे डाला जायेगा।

9- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश-519/3(150)-2017/XXVII (1)/ 2018, दिनांक: 02 अप्रैल 2018 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,


  
(डा. मेहरबान सिंह बिष्ट)  
अपर सचिव 

संख्या-8/6 (1)/XVI-2/18/7(15)/2018, तददिनांक ।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-महालेखाकार,उत्तराखण्ड,ओबराय मोटर्स बिल्डिंग माजरा,देहरादून।
- 2-मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य औषधीय पादप बोर्ड, देहरादून।
- 3-निदेशक, सगन्ध पौधा केन्द्र सेलाकुई, देहरादून।
- 4-बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय।
- 5-वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, अल्मोड़ा/देहरादून।
- 6-राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
- 7-वित्त अनुभाग-4,उत्तराखण्ड शासन।
- 8-गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

  
(विकास कुमार श्रीवास्तव)  
अनु सचिव L